

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-387
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) के अंतर्गत स्थानीय निवासियों को रोजगार

***387. श्री सुधाकर सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चौसा में स्थित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत कोई प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के अंतर्गत अब तक कुल कितने लोगों को नौकरी प्रदान की गई है;

(ग) उक्त संयंत्र में चौसा और बक्सर जिलों के स्थानीय निवासियों को अब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए रोजगार की श्रेणी-वार संख्या और कार्य-वार स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के अंतर्गत स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कोई नीति अपनाने या इसे और सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) के अंतर्गत स्थानीय निवासियों को रोजगार" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 387 के संबंध में भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) : जी हाँ। एसजेवीएन थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड की बक्सर ताप विद्युत परियोजना के लिए बिहार सरकार के बक्सर जिले के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए रोजगार/स्वरोजगार के प्रावधान मौजूद हैं (विवरण **अनुबंध-क** पर देखा जा सकता है)।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत 550 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बक्सर जिले के कुल 2586 स्थानीय निवासियों (उपर्युक्त 550 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों सहित) को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया है (विवरण **अनुबंध-ख** पर है)।

(घ) एवं (ड) : भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम (एलएआरआरए), 2013 के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) नीति को मंजूरी दी गई है। बक्सर ताप विद्युत संयंत्र (बीटीपीपी) के आरएंडआर पैकेज में परियोजना के अंतर्गत "स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता" प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्तमान में, बीटीपीपी की यूनिट #2 निर्माणाधीन है और यूनिट #3 की योजना बनाई जा रही है तथा विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न कार्यों में रोजगार के और अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

एसजेवीएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन थर्मल (पी) लिमिटेड (एसटीपीएल) के बक्सर थर्मल पावर प्लांट के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति को बिहार सरकार के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। आर एंड आर नीति के अध्याय-6 के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

6.2 रोजगार

6.2.1 प्रत्यक्ष रोजगार

परियोजना से प्रभावित परिवार जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें ठेकेदार (संयंत्र के निर्माण के लिए नियुक्त ठेकेदार) या स्वयं परियोजना द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, उपयुक्तता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर केवल श्रमिक श्रेणी में रोजगार का अवसर दिया जाएगा।

रिक्ति सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी और परिणामों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन चयन सूची में शीर्ष से क्रमानुसार किया जाएगा। एसटीपीएल अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। रोजगार प्रदान करते समय, परियोजना से सबसे पहले प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद ही अन्य/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2.2 द्वितीयक रोजगार

यदि एसटीपीएल में प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो प्रभावित परिवारों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आय सृजन हेतु वित्तीय सहायता, छोटे ठेकेदारों के साथ काम, स्वरोजगार प्रशिक्षण आदि जैसे वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

बक्सर ताप विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट) सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह ध्यान में रखा गया है कि एसटीपीएल परियोजनाएं पूंजी-प्रधान होती हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होती हैं। हालांकि, परियोजना में कोई अवसर उत्पन्न होने पर, उपयुक्तता और उपलब्धता के आधार पर पीएफ (परियोजना प्रभावित परिवारों) को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एसटीपीएल परियोजना की स्थापना के कारण निम्न स्तर के रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इच्छुक पीएफ को इन अवसरों से जोड़ने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।

6.3 अन्य विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता

पहुँच खो चुके अलग हुए परिवारों को सहायता: -

उन परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपनी ज़मीन या मकानों तक पहुँच खो दी है, जिनका अधिग्रहण नहीं हुआ है, जबकि उनके आसपास के अन्य परिवारों की ज़मीन या मकानों का अधिग्रहण हो चुका है।

6.4 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के लिए, परियोजना से प्रभावित परिवारों को आय सृजन स्कीम के तहत बताई गई वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; जहाँ तक संभव हो, यह सहायता परियोजना से प्रभावित परिवारों के समूहों को दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों के गठन से परियोजना से प्रभावित परिवारों में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी, और साथ ही गाँवों में कुटीर उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

एक स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या आम तौर पर पाँच से दस होगी। यदि आवश्यक हो, तो स्वयं सहायता समूह बैंकों से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के गठन में गैर-सरकारी संगठनों से भी सहायता ली जा सकती है। स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण, आय सृजन स्कीम के तहत किसी एक परियोजना से प्रभावित परिवार को देय अधिकतम वित्तीय सहायता के आधार पर किया जाएगा।

6.5 छोटी संविदाएं

रोजगार के एक व्यवहार्य अवसर के रूप में, परियोजना से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा देने पर विचार किया जाएगा। छोटे कार्य संविदा परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के 'घ-श्रेणी' के ठेकेदारों के लिए आरक्षित होंगे। परियोजना से प्रभावित परिवारों के ठेकेदारों को प्राथमिकता देने के बाद, परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के अन्य ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 'घ-श्रेणी' के ठेकेदारों की वित्तीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

छोटे प्रशासनिक प्रकृति के कार्यों में हाउसकीपिंग का कार्य, बिजली के उपकरणों का रखरखाव, डिश एंटीना प्रणाली का रखरखाव, कार्यालयों और कर्मचारी क्लबों के लिए सेवाएँ, नर्सरी पार्कों का रखरखाव, तथा भवनों और अन्य अवसंरचना का निर्माण कार्य शामिल हो सकते हैं।

6.5.1 ठेकेदारों के पास नौकरियाँ

ठेकेदारों को निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ भी संभव हो, वे अकुशल श्रेणी के कार्यों में नौकरियाँ देते समय परियोजना से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दें। परियोजना से प्रभावित परिवारों के बाद, अप्रत्यक्ष रूप

से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा।

6.5.2 हल्के वाहनों को किराए पर लेना

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार के एक अवसर के रूप में, हल्के वाहनों को किराए पर लिया जा सकता है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के हल्के वाहनों को प्राथमिकता देने के बाद, प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के वाहनों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

6.5.3 कैंटीन का लाइसेंस

परियोजना कार्यालयों के भीतर कैंटीन चलाने के लिए संविदा/अनुज्ञा पत्र देते समय, परियोजना प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद परियोजना क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5.4 कूरियर सेवाएँ

परियोजना कार्यालयों के भीतर कूरियर सेवाएँ चलाने के लिए संविदा/अनुज्ञा पत्र देते समय, परियोजना से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद परियोजना क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5.5 दुकानों का आवंटन

एसजेवीएन द्वारा अपनी टाउनशिप में विकसित दुकानों के आवंटन में, विस्थापित दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य परियोजना से प्रभावित परिवारों को और फिर परियोजना क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5.6 पीसीओ/इंटरनेट कियोस्क

एसजेवीएन टाउनशिप में पीसीओ और इंटरनेट कियोस्क के आवंटन में, परियोजना से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद परियोजना क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5.7 अन्य आजीविका सहायता

कोई भी अन्य आजीविका सहायता जिसे परियोजना द्वारा उचित समझा जाए।

लोकसभा में दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 387 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित, जिसका विषय था "टीपीपी के तहत स्थानीय निवासियों को रोजगार"।

क्रम सं.	संविदा का प्रकार	कार्य की प्रकृति	संविदाकार का नाम	कुल जनशक्ति	परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य (पीएएफ)			बक्सर		
					कुल	वर्ग	कार्य की प्रकृति	कुल	वर्ग	कार्य की प्रकृति
1	सेवा संविदा	सचिवालयी सेवाएं	मैसर्स मैसूर	13	8	कुशल	सचिवालयी सेवाएं	4	कुशल	सचिवालयी सेवाएं
								1	उच्च कुशल	सचिवालयी सेवाएं
2	सेवा संविदा	सफाई एवं अन्य संबद्ध सेवाएं	मैसर्स पंकज सिक्कोरिटी	52	0	0	0	2	उच्च कुशल	ड्राइवर/पर्यवेक्षक
					3	कुशल	विद्युत/प्लंबरिंग/अमेन	4	कुशल	विद्युतकर्मी/प्लंबर/रसोइया
					3	अर्धकुशल	रसोइया सह सहायक/आईटी रखरखाव	4	अर्ध-कुशल	रसोइया सह सहायक
					21	अकुशल	सहायक/सफाईकर्मी	15	अकुशल	सहायक/सफाईकर्मी
3	सेवा संविदा	सुरक्षा सेवाएं	मैसर्स कृष्णा सिक्कोरिटी	28	1	उच्च कौशल	सुरक्षा गार्ड	10	उच्च कुशल	पर्यवेक्षक/सुरक्षा गार्ड
					2	कुशल	सुरक्षा गार्ड	15	कुशल	सुरक्षा गार्ड
4	ईपीसी संविदा	सी/ओ बीटीपीपी	मैसर्स एल एंड टी	2166	0	उच्च कुशल	निर्माण कार्य	2	उच्च कुशल	निर्माण कार्य
					114	कुशल	निर्माण कार्य	681	कुशल	निर्माण कार्य
					31	अर्ध कुशल	निर्माण कार्य	183	अर्ध-कुशल	निर्माण कार्य
					205	अकुशल	निर्माण कार्य	940	अकुशल	निर्माण कार्य
					1	संविदा कर्मचारी	निर्माण कार्य	9	अनुबंध कर्मचारी	निर्माण कार्य
5	ओ एंड एम संविदाकार	ओ एंड एम	मैसर्स पावर मेक	254	10	तकनीकी कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण तकनीकी कार्य	3	तकनीकी कार्यकारी	निर्माण कार्य
					3	गैर-तकनीकी कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य	1	गैर-तकनीकी कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण तकनीकी कार्य
					59	तकनीकी गैर-कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण तकनीकी कार्य	107	तकनीकी गैर-कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य
					44	गैर-तकनीकी गैर-कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण अन्य कार्य	27	गैर-तकनीकी-गैर-कार्यकारी	संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण (अन्य कार्य)
6	सिविल संविदा	बीटीपीपी कॉलोनी के कार्यालय	मैसर्स हाई-टेक	10	8	अकुशल	लोडिंग/अनलोडिंग	2	अकुशल	लोडिंग/अनलोडिंग
7	सिविल संविदा	बाउंड्री वाल का निर्माण	मैसर्स एपीएस हाइड्रो	15	12	कुशल		0	0	0
					3	अकुशल	पर्यवेक्षक	0	0	0
8	कोयला परिवहन	वारफ से संयंत्र तक कोयले का परिवहन	मैसर्स प्रगति रोड लाइन	16	0	0	लोडिंग/अनलोडिंग	16	कुशल	वाहन चलाना एवं प्रचालन
9	किराए पर लिया गया वाहन	बीटीपीपी के आधिकारिक कार्यों के लिए वाहनों की व्यवस्था	व्यक्तिगत स्वामी	32	22	वाहन और चालक	0	10	वाहन और चालक	वाहन का प्रचालन एवं रखरखाव
कुल				2586	550			2036		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4374

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली की स्थापना

4374. श्री नीरज मौर्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कितने संयंत्रों में उक्त स्थापनाएं हो चुकी हैं;

(ख) पर्यावरणीय विनियमों के अंतर्गत उत्सर्जन नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफजीडी प्रणालियों की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) एफजीडी प्रणालियों की स्थापना में आ रही वित्तीय, तकनीकी या अन्य बाधाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को तीन श्रेणियों नामतः श्रेणी क, श्रेणी ख और श्रेणी ग में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया था। इसके अनुसार, टीपीपी का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया था:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान / क्षेत्र	टीपीपी की संख्या	यूनिट की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल संयंत्रों के अलावा	149	462	1,66,885.5
कुल			191	600	2,11,519.5

नोट: भारत की 2011 जनगणना के अनुसार

वर्तमान में, इन 600 टीपीपी यूनिटों में से देशभर में 72 यूनिटों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं (श्रेणी क - 19 यूनिट, श्रेणी ख - 4 यूनिट और श्रेणी ग - 49 यूनिट)।

(ख) : दिनांक 11.07.2025 की एमओईएफएंडसीसी अधिसूचना के अनुसार, SO₂ उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता तथा उनके अनुपालन की समय-सीमा निम्नलिखित है:

श्रेणी	SO ₂ उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन की समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिट की रिटायमेंट की अंतिम तिथि
श्रेणी क	अनिवार्य	31.12.2027	31.12.2030
श्रेणी ख	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाएँ) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला निर्णय लिया जाना है। यदि किसी टीपीपी को SO ₂ उत्सर्जन मानकों से छूट के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसी टीपीपी को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (ई) दिनांक 30.08.1990 के अनुसार स्टैक ऊँचाई सुनिश्चित करनी होगी।	31.12.2028	
श्रेणी ग	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (ई) के अनुसार स्टैक ऊँचाई का अनुपालन करने की शर्त पर लागू नहीं।	31.12.2029	

(ग) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी प्रणाली के कार्यान्वयन में सामने आने वाली प्रमुख समस्याएँ/चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- (i) एफजीडी उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए कुछ ही विक्रेता हैं जिनकी क्षमता सीमित है। देश में एफजीडी संस्थापना के लिए विक्रेताओं की क्षमता लगभग 16-20 गीगावाट (33 से 39 यूनिट) है और संस्थापना में लगभग 44 से 48 माह का समय लगता है।
- (ii) भारत में एफजीडी घटकों की निर्माण क्षमता 70% थी, जो समय के साथ अब 80% हो गई है। हालांकि, यह अभी भी अन्य देशों से होने वाले आयात पर निर्भर है।
- (iii) एफजीडी प्रणालियों की संस्थापना में अवधारणात्मक और डिजाइन संबंधी चुनौतियाँ आदि भी सामने आई हैं। मानकीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि विभिन्न साइटों की अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, जैसे स्थान की कमी, ले-आउट और अभिविन्यास आदि।

उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए, विक्रेताओं को उनकी क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सभी एफजीडी पार्ट्स का स्वदेशी उत्पादन अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

इसके अलावा, निर्धारित समयसीमा के बाद भी अनुपालन नहीं करने के मामले में, अनुपालन नहीं करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

समयसीमा के बाद गैर-अनुपालन संचालन:	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रु. प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उसके बाद	0.40

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4394
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य दिवस

†4394. श्री के. सुधाकरन:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार विद्युत की बिक्री के लिए राज्य-वार कौन-कौन से प्राप्य दिवस हैं;

(ख) दो वर्षों से अधिक समय से बकाया प्राप्तियों और बकाया प्राप्तियों के प्रतिशत हिस्से का राज्य-वार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों)-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान डिस्कॉम द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण पर वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना ब्याज व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अथवा सुधार से जुड़ी किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्राप्य दिवसों में कमी करने के लिए कोई बेंचमार्क निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्राप्य दिवसों को साठ दिन के बेंचमार्क के अनुरूप बनाने और लंबे समय से लंबित प्राप्तियों के संचय को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा यूटिलिटी स्तर पर विद्युत की बिक्री से प्राप्तियों और वितरण यूटिलिटी के लिए ब्याज लागत का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है और यह यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक खातों पर आधारित होता है। पिछले दो वर्षों के लिए विद्युत बिक्री से संबंधित प्राप्ति दिनों का विवरण अनुबंध-1 पर है।

यूटिलिटी द्वारा पीएफसी को प्रस्तुत वार्षिक खातों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल उधारी पर डिस्कॉम द्वारा वहन किया गया ब्याज व्यय **अनुबंध-II** पर संलग्न है। हालांकि, कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज व्यय अलग से नहीं है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार प्राप्ति दिनों को कम करने सहित वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार, के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- i. **स्मार्ट मीटरिंग:** उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटर और प्रणाली स्मार्ट मीटर की स्थापना, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करती है, संग्रहण दक्षता में वृद्धि के माध्यम से डिस्कॉम के लिए वित्तीय अनुशासन में सुधार करती है तथा वितरण प्रणाली में बेहतर ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करती है। उपभोक्ताओं को प्री-पेड मॉडल में शिफ्ट करके, वितरण यूटिलिटी अपने प्राप्ति दिनों को प्रभावी रूप से कम कर सकती हैं।
- ii. **सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकाया का भुगतान:** राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय पर भुगतान और सरकारी विभागों के विद्युत बकाया का भुगतान, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत तथा राज्यों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार की सुविधा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त, यह शर्त राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए निर्धारित अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत पूर्व-आवश्यक शर्तों में से एक भी है।
- iii. **विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025:** ये नियम पुरानी प्राप्तियों के लिए वर्ष-वार प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं, जो वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति को सही रूप से दर्शाने और प्राप्ति दिनों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वितरण यूटिलिटी द्वारा विद्युत की बिक्री से प्राप्य दिन

	राज्य/डिस्कॉम	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक
1.	राज्य क्षेत्र	122	121
2.	आंध्र प्रदेश	110	91
3.	एपीसीपीडीसीएल	85	54
4.	एपीईपीडीसीएल	56	62
5.	एपीएसपीडीसीएल	184	153
6.	असम	50	46
7.	एपीडीसीएल	50	46
8.	बिहार	233	227
9.	एनबीपीडीसीएल	160	163
10.	एसबीपीडीसीएल	293	284
11.	छत्तीसगढ़	96	82
12.	सीएसपीडीसीएल	96	82
13.	गुजरात	7	6
14.	डीजीवीसीएल	1	1
15.	एमजीवीसीएल	17	10
16.	पीजीवीसीएल	12	11
17.	यूजीवीसीएल	2	1
18.	हरियाणा	48	61
19.	डीएचबीवीएनएल	65	76
20.	यूएचबीवीएनएल	24	41
21.	हिमाचल प्रदेश	22	27
22.	एचपीएसईबीएल	22	27
23.	झारखंड	281	363
24.	जेबीवीएनएल	281	363
25.	कर्नाटक	53	76
26.	बेस्कॉम	36	43
27.	चेस्कॉम	59	108
28.	गेस्कॉम	84	144
29.	हेस्कॉम	115	165
30.	मेस्कॉम	49	67
31.	केरल	48	37
32.	केएसईबीएल	48	37
33.	मध्य प्रदेश	166	174
34.	एमपीएमएकेवीवीसीएल	236	264
35.	एमपीपीएकेवीवीसीएल	85	86
36.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	200	198
37.	महाराष्ट्र	200	187
38.	एमएसईडीसीएल	200	187
39.	मणिपुर	391	432
40.	एमएसपीडीसीएल	391	432
41.	मेघालय	195	134
42.	एमईपीडीसीएल	195	134

43.	पंजाब	89	81
44.	पीएसपीसीएल	89	81
45.	राजस्थान	25	26
46.	एवीवीएनएल	12	13
47.	जेडीवीवीएनएल	33	49
48.	जेवीवीएनएल	30	24
49.	तमिलनाडु	58	56
50.	टेनजेडको	58	
51.	टीएनपीडीसीएल		56
52.	तेलंगाना	219	257
53.	टीएसएनपीडीसीएल	397	461
54.	टीएसएसपीडीसीएल	168	199
55.	त्रिपुरा	204	193
56.	टीएसईसीएल	204	193
57.	उत्तर प्रदेश	310	295
58.	डीवीवीएनएल	357	292
59.	केस्को	248	204
60.	एमवीवीएनएल	280	373
61.	पीएवीवीएनएल	150	149
62.	पीयूवीवीएनएल	555	457
63.	उत्तराखंड	18	21
64.	यूपीसीएल	18	21
65.	पश्चिम बंगाल	60	60
66.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	60	60
67.	निजी क्षेत्र	20	17
68.	दिल्ली	10	8
69.	बीआरपीएल	13	9
70.	बीवाईपीएल	12	9
71.	टीपीडीडीएल	6	5
72.	गुजरात	30	30
73.	टॉरेंट अहमदाबाद	30	30
74.	टॉरेंट पावर सूरत	29	29
75.	महाराष्ट्र	15	15
76.	एईएमएल	15	15
77.	ओडिशा	30	23
78.	टीपीएनओडीएल	16	10
79.	टीपीएसओडीएल	96	63
80.	टीपीडब्ल्यूओडीएल	28	25
81.	टीपीसीओडीएल	21	16
82.	उत्तर प्रदेश	14	15
83.	एनपीसीएल	14	15
84.	पश्चिम बंगाल	56	62
85.	आईपीसीएल	56	62
	कुल योग	113	112

वितरण यूटिलिटी की ब्याज लागत (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1.	राज्य क्षेत्र	65,895	74,646	73,738
2.	अंडमान एवं निकाबोर द्वीप समूह	81	82	83
3.	अंडमान एवं निकाबोर पीडी	81	82	83
4.	आंध्र प्रदेश	3,542	5,493	6,678
5.	एपीसीपीडीसीएल	938	1,602	1,854
6.	एपीईपीडीसीएल	1,124	1,434	1,889
7.	एपीएसपीडीसीएल	1,481	2,456	2,935
8.	असम	137	175	214
9.	एपीडीसीएल	137	175	214
10.	बिहार	1,469	1,943	1,562
11.	एनबीपीडीसीएल	650	971	688
12.	एसबीपीडीसीएल	819	972	874
13.	छत्तीसगढ़	775	961	891
14.	सीएसपीडीसीएल	775	961	891
15.	गोवा	11	11	10
16.	गोवा पीडी	11	11	10
17.	गुजरात	360	721	704
18.	डीजीवीसीएल	99	234	217
19.	एमजीवीसीएल	54	96	93
20.	पीजीवीसीएल	118	224	220
21.	यूजीवीसीएल	89	167	175
22.	हरियाणा	777	1,433	1,726
23.	डीएचबीवीएनएल	355	720	975
24.	यूएचबीवीएनएल	423	713	751
25.	हिमाचल प्रदेश	485	580	588
26.	एचपीएसईबीएल	485	580	588
27.	झारखंड	1,219	1,381	1,797
28.	जेबीवीएनएल	1,219	1,381	1,797
29.	कर्नाटक	3,678	3,848	5,322
30.	बेस्कॉम	1,229	1,721	2,289
31.	चेस्कॉम	328	388	454
32.	गेस्कॉम	555	618	837
33.	हेस्कॉम	1,438	986	1,583
34.	मेस्कॉम	128	136	159
35.	केरल	1,493	2,394	1,849
36.	केएसईबीएल	1,491	2,391	1,846
37.	टीसीईडी	2	3	3
38.	मध्य प्रदेश	3,460	4,052	4,243
39.	एमपीएमएकेवीवीसीएल	1,345	1,511	1,535
40.	एमपीपीएकेवीवीसीएल	1,004	1,216	1,262
41.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	1,111	1,324	1,446
42.	महाराष्ट्र	11,944	8,955	9,655
43.	एमएसईडीसीएल	11,825	8,780	9,469
44.	बीईएसटी	119	175	186
45.	मणिपुर	19	29	30
46.	एमएसपीडीसीएल	19	29	30
47.	मेघालय	167	146	133
48.	एमईपीडीसीएल	167	146	133
49.	पुदुचेरी	23	29	22

50.	पुदुचेरी पीडी	23	29	22
51.	पंजाब	1,474	1,672	1,758
52.	पीएसपीसीएल	1,474	1,672	1,758
53.	राजस्थान	7,707	9,775	10,892
54.	एवीवीएनएल	2,212	2,635	2,919
55.	जेडीवीवीएनएल	2,717	3,508	4,019
56.	जेवीवीएनएल	2,778	3,632	3,954
57.	सिक्किम	3	0	0
58.	सिक्किम पीडी	3	0	0
59.	तमिलनाडु	13,451	16,440	10,517
60.	टेनजेडको	13,451	16,440	
61.	टीएनपीडीसीएल			10,517
62.	तेलंगाना	3,472	4,667	5,883
63.	टीएसएनपीडीसीएल	971	1,359	1,709
64.	टीएसएसपीडीसीएल	2,501	3,308	4,175
65.	त्रिपुरा	24	37	57
66.	टीएसईसीएल	24	37	57
67.	उत्तर प्रदेश	8,062	7,643	6,951
68.	डीवीवीएनएल	2,070	1,963	1,835
69.	केस्को	285	285	254
70.	एमवीवीएनएल	1,808	1,740	1,613
71.	पीएवीवीएनएल	1,154	1,057	869
72.	पीयूवीवीएनएल	2,745	2,599	2,380
73.	उत्तराखंड	217	298	341
74.	यूपीसीएल	217	298	341
75.	पश्चिम बंगाल	1,846	1,879	1,830
76.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1,846	1,879	1,830
77.	निजी क्षेत्र	3,926	3,635	3,916
78.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	18	एनए	एनए
79.	डीएनएचडीडीपीडीसीएल	18	एनए	एनए
80.	दिल्ली	2,329	2,347	2,310
81.	बीआरपीएल	1,122	1,090	1,086
82.	बीवाईपीएल	921	969	985
83.	टीपीडीडीएल	286	288	238
84.	गुजरात	325	511	670
85.	टोरेट अहमदाबाद	259	414	558
86.	टोरेट पावर सूरत	65	98	113
87.	महाराष्ट्र	282	324	368
88.	ईएमएल	282	324	368
89.	ओडिशा	315	395	512
90.	टीपीएनओडीएल	68	103	133
91.	टीपीएसओडीएल	59	102	132
92.	टीपीडब्ल्यूओडीएल	81	100	141
93.	टीपीसीओडीएल	107	91	106
94.	उत्तर प्रदेश	15	26	30
95.	एनपीसीएल	15	26	30
96.	पश्चिम बंगाल	642	33	27
97.	सीईएससी	604	एनए	एनए
98.	आईपीसीएल	38	33	27
कुल योग		69,821	78,282	77,653

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4410
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति

†4410. श्री पी.पी. चौधरी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट नीतिगत उपायों और ढांचागत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम की स्थिति और प्रतिस्पर्धा तथा भुगतान अनुशासन को बढ़ावा देने के संबंध में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 की भूमिका सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की शुरुआत से अखिल भारतीय स्तर पर औसत तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरडीएसएस की शुरुआत से अब तक औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर के वर्ष-वार रुझान क्या रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता को सुधारने के लिए उनकी सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए वर्ष 2021 में शुरु किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों को जारी

करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंडों के आधार पर उनके निष्पादन से जोड़ा गया है।

2. राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बशर्ते वे वितरण यूटिलिटी के वित्तीय निष्पादन सहित विद्युत क्षेत्र में विशेष सुधार करेंगे।
3. राज्यों की स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन की निर्धारित शर्तों पर आधारित हैं।
4. विद्युत की आपूर्ति की सभी उचित लागतों को उपभोक्ताओं तक सही ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-परावर्तित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं।
5. उचित सब्सिडी लेखांकन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 2021 (वित्त वर्ष 21) में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत आपूर्ति लागत - औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर ₹0.69/किलोवाट घंटा से घटकर ₹0.06/किलोवाट घंटा हो गया। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने वित्त वर्ष 25 में पहली बार कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹2,701 करोड़ अर्जित किया।

भारत सरकार ने विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को दिनांक 3 जून, 2022 को अधिसूचित किया। ये नियम यह प्रावधान करते हैं कि दिनांक 3 जून, 2022 तक विलंब से भुगतान अधिभार सहित उत्पादन कंपनियों (आईपीपी, सीपीएसई और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं), ट्रेडर्स और अंतर-राज्यीय पारेषण सेवा प्रदाताओं के सभी बकाया को बकाया राशि माना जाएगा, जिसे पुनर्निर्धारित किया जाना था और वितरण लाइसेंसधारी, दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंब से भुगतान अधिभार की अप्रायोज्यता के लाभों सहित अगस्त 2022 से शुरू करते हुए, नियमों के अनुसार, इन बकाया राशियों का भुगतान समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में करेंगे। ये नियम वर्तमान बकाया राशि के समयबद्ध निपटान के लिए भी फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 03.06.2022 को ₹1,39,947 करोड़ की लंबित पुरानी बकाया राशि घटकर दिनांक 10.03.2026 को ₹3,300 करोड़ हो गई है। डिस्कॉम अपनी वर्तमान बकाया राशियों का भुगतान भी समय पर कर रही हैं।

डिस्कॉम के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (एनईपी) 2026 और विद्युत (संशोधन) बिल 2025 में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) : आरडीएसएस की शुरुआत से राज्यों के अनुसार एटीएंडसी हानियां और एसीएस-एआरआर अंतर क्रमशः **अनुबंध-1** और **II** पर संलग्न हैं।

एटी एंड सी हानि (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25.30	19.80	19.77	20.76	24.14
आंध्र प्रदेश	20.42	10.56	7.74	12.05	7.87
अरुणाचल प्रदेश	51.82	47.83	51.70	42.86	46.20
असम	18.73	16.95	16.22	14.03	15.44
बिहार	34.40	33.94	23.45	20.32	15.51
चंडीगढ़	13.81	एनए	एनए	एनए	एनए
छत्तीसगढ़	18.05	18.13	16.14	15.88	14.25
दिल्ली (एनडीएमसी)	9.43	7.88	10.67	12.82	8.36
गोवा	12.89	12.79	17.09	9.09	10.39
गुजरात	11.08	9.17	10.72	8.97	8.25
हरियाणा	17.46	14.06	12.01	11.30	11.76
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.90	10.57	10.88	19.44
जम्मू एवं कश्मीर	59.28	एनए	एनए	एनए	एनए
झारखंड	43.09	30.85	27.46	30.51	28.19
कर्नाटक	15.97	11.51	14.19	11.89	11.92
केरल	7.83	8.08	5.65	7.44	6.61
लद्दाख	एनए	48.29	38.61	42.46	26.82
लक्षद्वीप	11.63	एनए	एनए	एनए	एनए
मध्य प्रदेश	41.72	21.36	20.45	22.89	22.76
महाराष्ट्र	26.60	14.73	16.96	23.86	17.69
मणिपुर	24.56	24.28	13.82	13.41	12.90
मेघालय	23.37	29.75	17.75	17.51	17.52
मिज़ोरम	29.05	36.45	26.53	28.01	32.31
नागालैंड	47.08	43.26	47.28	47.11	48.86
पुदुचेरी	20.12	14.20	21.83	17.75	14.72
पंजाब	18.54	11.67	11.23	10.96	19.21
राजस्थान	26.18	17.49	15.44	22.13	15.18
सिक्किम	98.35	30.77	26.41	27.84	21.84
तमिलनाडु	11.78	10.53	10.92	11.39	10.96
तेलंगाना	13.33	10.65	18.65	19.01	19.84
त्रिपुरा	37.36	24.97	24.91	69.01	29.61
उत्तर प्रदेश	26.78	30.62	22.18	16.39	19.54
उत्तराखंड	15.39	14.15	14.41	14.69	15.08
पश्चिम बंगाल	20.94	16.37	17.43	17.13	17.17
निजी क्षेत्र	14.97	15.23	10.76	11.0	10.05
राष्ट्रीय	21.91	16.28	15.22	15.97	15.04

एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति किलोवाट घंटा)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.09	2.61	1.31	2.70	2.22
आंध्र प्रदेश	1.01	0.34	0.29	0.34	(0.15)
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.10	(0.30)	0.62	(0.22)	(0.26)
बिहार	0.87	0.62	0.04	(0.18)	(0.41)
चंडीगढ़	(0.42)	एनए	एनए	एनए	एनए
छत्तीसगढ़	0.20	0.21	0.26	(0.20)	(0.19)
दिल्ली (एनडीएमसी)	(0.77)	(0.39)	0.95	(2.45)	(0.86)
गोवा	(0.18)	0.54	0.46	1.04	0.20
गुजरात	(0.07)	(0.06)	(0.02)	(0.58)	(0.40)
हरियाणा	(0.12)	(0.15)	(0.15)	(0.04)	0.10
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.10	0.78	0.36	0.23
जम्मू एवं कश्मीर	1.81	एनए	एनए	एनए	एनए
झारखंड	1.92	1.20	2.52	1.66	0.95
कर्नाटक	0.83	(0.64)	0.32	1.08	0.69
केरल	0.19	(0.03)	0.32	0.42	(0.17)
लद्दाख	एनए	0.42	2.05	0.89	(0.89)
लक्षद्वीप	19.44	एनए	एनए	एनए	एनए
मध्य प्रदेश	1.23	0.28	(0.22)	0.18	(0.04)
महाराष्ट्र	0.53	0.08	1.24	0.28	0.56
मणिपुर	0.07	0.16	1.16	(0.45)	(0.20)
मेघालय	0.40	0.56	0.73	1.28	0.13
मिज़ोरम	1.58	0.76	1.70	1.31	(0.34)
नागालैंड	0.19	(0.26)	(0.31)	(0.40)	(0.50)
पुदुचेरी	0.08	(0.25)	0.51	(0.18)	(0.64)
पंजाब	(0.01)	(0.27)	0.19	(0.20)	(0.30)
राजस्थान	0.69	(0.31)	0.20	0.31	(0.04)
सिक्किम	0.27	(0.00)	(0.72)	0.18	0.33
तमिलनाडु	1.48	0.93	0.89	0.11	(0.19)
तेलंगाना	1.06	0.08	1.40	0.75	0.27
त्रिपुरा	(0.01)	0.40	0.80	0.84	1.40
उत्तर प्रदेश	0.94	0.56	1.34	0.55	0.73
उत्तराखंड	0.10	(0.00)	0.72	0.10	0.06
पश्चिम बंगाल	1.16	(0.20)	0.32	0.17	(0.03)
निजी क्षेत्र	(0.09)	(0.26)	(0.32)	(0.19)	(0.25)
राष्ट्रीय	0.69	0.10	0.50	0.20	0.06

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4422
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम द्वारा दर्ज किया गया लाभ

†4422. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्रीमती शांभवी:

श्री राजेश वर्मा:

डॉ. लता वानखेड़े:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष-2025 के दौरान वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा कुल कितना लाभ दर्ज किया गया है और यह किस प्रकार प्रचालन और वित्तीय निष्पादन में सुधार को दर्शाता है;

(ख) प्रशुल्क सुधारों, हानि में कमी लाने के उपायों और कार्यकुशलता में वृद्धि सहित डिस्कॉम की लाभप्रदता में सुधार करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकारी योजनाओं, प्रोत्साहनों और कार्य-निष्पादन से जुड़ी पहलों से प्राप्त लक्षित सहायता ने डिस्कॉम के वित्तपोषण को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए सकारात्मक वित्तीय परिणामों को बनाए रखने के लिए डिस्कॉम की किस प्रकार निगरानी और सहायता करती है; और

(ङ) क्या ये घटनाक्रम सभी क्षेत्रों में वित्तीय व्यवहार्यता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी को उनके प्रचालन प्रदर्शन और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i) वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए निधि जारी करना विभिन्न प्रचालन और वित्तीय मापदंडों के निमित्त यूटिलिटी के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है। इससे यूटिलिटी को सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकाया का समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। इससे यूटिलिटी को नियमित रूप से टैरिफ आदेश जारी करने, समय पर लेखों का प्रकाशन करने, विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करने, लीकेज को कम करके बिलिंग में सुधार करने तथा बिल की गई ऊर्जा के निमित्त संग्रह में सुधार करने हेतु भी प्रेरित किया गया है।

ii) राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो वितरण यूटिलिटी के वित्तीय प्रदर्शन सहित विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने पर सशर्त है।

iii) निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

iv) ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के क्रियान्वयन हेतु नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतों को समायोजित किया जा सके।

v) सब्सिडी लेखांकन के उचित क्रियान्वयन तथा उनके समयबद्ध भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

vi) विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में भुगतान अनुशासन में सुधार के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए, जिसमें वितरण यूटिलिटी पर 03.06.2022 को मौजूदा बकाया राशि को चरणबद्ध तरीके से चुकाने और वर्तमान बकाया राशि का समयबद्ध निपटान करने की बाध्यता शामिल है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04 प्रतिशत हो गई है, जबकि आपूर्ति की राष्ट्रीय औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर 0.69 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वितरण यूटिलिटी ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4425
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत आपूर्ति में वृद्धि

†4425. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके विकास के लिए विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमताओं और अवसंरचना के निर्माण के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति आवश्यक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी हाँ। देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट (जनवरी, 2026 तक के अनुसार) है। भारत ने अप्रैल, 2014 से अब तक 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है जिसने देश को विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता में बदल दिया है।

देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन

पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय आयोजना भी शामिल है।

- (ii) सभी राज्यों को अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित ताप (कोयला एवं लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इसके अतिरिक्त, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहलें की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से दिनांक 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमताएं पहले ही कमीशन की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट स्ट्रेसड ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,57,800 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता जिसमें 67,280 मेगावाट सौर, 6,500 मेगावाट पवन और 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 11,480 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 48,720 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ड) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट-घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। वर्तमान में, 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन हैं तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा की बीईएसएस क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण आयोजना:** अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों के कारण उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा:**

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अर्वाइ होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

- (vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई अंतःराज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय एवं पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।
- (x) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4426
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार-बार बिजली कटौती

†4426. श्री जिया उर रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार-बार बिजली की कटौती, अपर्याप्त पारेषण अवसंरचना और खराब विद्युत गुणवत्ता की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, पारेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश के अन्य भागों में विद्युत क्षेत्र के इसी प्रकार के मुद्दे प्रचलित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा देश भर में विश्वसनीय और वहनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुधार किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीएल) के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पारेषण अवसंरचना का प्रावधान है। यूपीपीटीएल द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। जनवरी, 2026 तक देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 520 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है। भारत ने अप्रैल 2014 से लगभग 296 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर बिजली की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता में बदल गया है। आपूर्ति की गई ऊर्जा, ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है जिसमें केवल मामूली अंतर रहा है, जो सामान्यतः राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (जनवरी, 2026 तक) के दौरान देश और उत्तर प्रदेश (यूपी) में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, आपूर्ति विवरण के औसत दैनिक घंटों का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

देश भर में विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्रों स्थापित करके और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।
- (ii) अनुपातिक क्षमता वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी।
- (iii) जलविद्युत आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि अधिकतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- (iv) सभी उत्पादन कंपनियों, जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) और केंद्रीय उत्पादन स्टेशन शामिल हैं, को योजनाबद्ध रखरखाव या अपरिहार्य कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूर्ण उपलब्धता उत्पन्न करने और बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- (v) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखा जाता है।

(घ) : भारत सरकार वितरण यूटिलिटी को उनके प्रचालन क्षेत्र में विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का पूरक रही है। देश में डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं निष्पादित की गईं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना तथा प्रति यूनिट आपूर्ति की गई विद्युत पर होने वाली अंडर-रिकवरी को शून्य करना है। वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, देश के लिए हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना विभिन्न सुधार उपायों के तहत वितरण यूटिलिटी के कार्यनिष्पादन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाया राशि का समय पर जारी होना, वार्षिक लेखा और टैरिफ आदेश प्रकाशित करना, विनियामक परिसंपत्ति का कोई नया निर्माण नहीं करना, एटीएंडसी हानि में कमी तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर जैसे मापदंड शामिल हैं। इससे वितरण यूटिलिटी में वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता मिली है।

इसके अतिरिक्त, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में सुधार के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटी की सहायता करने के लिए आरडीएसएस के अलावा कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- i. राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधार सहमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने पर सशर्त है।
- ii. निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के क्रियान्वयन हेतु नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतों को समायोजित किया जा सके।
- iv. सब्सिडी लेखांकन के उचित क्रियान्वयन तथा उनके समयबद्ध भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में देश और उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति।

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत				उत्तर प्रदेश			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	1,65,090	1,64,786	304	0.2
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,27,436	14,27,009	427	0.0	1,41,475	1,41,449	26	0.0

उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक आपूर्ति घंटे

महीना	ग्रामीण		शहरी			आपातकालीन विद्युत कटौती
	बुंदेलखंड को छोड़कर (निर्धारित 18 घंटे)	बुंदेलखंड (निर्धारित 20 घंटे)	नगर पंचायत (निर्धारित 21:30 घंटे)	तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घंटे)	जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24 घंटे)	
अप्रैल 2025	18:28	20:05	21:31	21:36	24:00	-
मई 2025	18:36	20:12	21:35	21:37	24:00	-
जून 2025	18:34	20:13	21:36	21:40	24:00	-
जुलाई 2025	18:19	20:05	21:30	21:30	24:00	-
अगस्त 2025	19:04	20:39	21:55	21:53	24:00	-
सितम्बर 2025	18:37	20:19	21:44	21:41	24:00	-
अक्टूबर 2025	22:19	22:50	23:15	23:19	24:00	-
नवम्बर 2025	18:41	20:19	21:37	21:36	24:00	-
दिसम्बर 2025	18:21	20:03	21:31	21:31	24:00	-
जनवरी 2026	18:47	20:16	21:39	21:39	24:00	-
फरवरी 2026	18:52	20:24	21:44	21:46	24:00	-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4431
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में बिजली की आपूर्ति

†4431. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) ने खरीद विनिमय सौदों और पारेषण उन्नयन को तीव्रतर किया है और केन्द्र सरकार से आगामी तमिलनाडु विधान सभा चुनाव अवधि के दौरान बिजली की उच्च मांग को पूरा करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1500 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में बिजली की अधिकतम मांग 24000 मेगावाट तक पहुंच सकती है और अप्रैल, 2026 तक उच्चतम दैनिक उपभोग 600 मिलियन यूनिट से अधिक हो सकती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों में स्थित केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से तमिलनाडु द्वारा अनुरोध की गई विद्युत की आपूर्ति के लिए क्या सक्रिय उपाय किए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेषकर वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई विद्युत अवसंरचना विकास परियोजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से तमिलनाडु राज्य द्वारा वर्ष 2034-35 तक की अवधि के लिए तैयार की गई 'संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी)' के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अनुमानित अधिकतम मांग और वार्षिक ऊर्जा खपत क्रमशः 23,314 मेगावाट और 1,62,726 एमयू है।

ग्रीष्मकाल की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए, टीएनईबी लिमिटेड ने निम्नलिखित कई अग्रिम उपाय किए हैं:

(i) तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टीएनपीडीसीएल) ने गर्मियों की मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के दौरान लगभग 3,500 मेगावाट के लिए पांच वर्ष की अवधि

के लिए लगभग 2,700 मेगावाट के लिए मध्यम अवधि की विद्युत क्रय व्यवस्था और अल्पकालिक विद्युत क्रय व्यवस्था संपन्न की है।

(ii) टीएनपीडीसीएल ने दिनांक 01.03.2026 से 15.04.2026 की अवधि के दौरान 500 मेगावाट के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ एक पावर स्वैप व्यवस्था में प्रवेश किया है।

(iii) हाल ही में, राज्य ने 800 मेगावाट कोयला आधारित ताप क्षमता अर्थात् उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन चरण-III (800 मेगावाट) को दिनांक 24.01.2026 को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के साथ जोड़ा है। राज्य ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान अपने जलविद्युत संसाधनों का अनुकूलन पहले ही कर लिया है, ताकि मार्च, अप्रैल और मई के उच्च मांग वाले गर्मी के महीनों के दौरान पूरी जलविद्युत क्षमता उपलब्ध हो सके।

(iv) राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 1,924 एमवीए की नई सबस्टेशन अंतरण क्षमता, मौजूदा सबस्टेशनों में 1,606 एमवीए की अतिरिक्त अंतरण क्षमता और 452 किलोमीटर पारेषण लाइनें जोड़ी हैं

उपर्युक्त के अलावा, तमिलनाडु राज्य ने 1500 मेगावाट विद्युत के अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। इसके बाद, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने तमिलनाडु को फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (चरण-I एवं II) से 329.36 मेगावाट की स्थिर विद्युत नवंबर, 2025 में आवंटित की है, जिसे राज्य में निर्बाध विद्युत सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31.05.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) : तमिलनाडु में राज्य/केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विद्युत अवसंरचना विकास परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है;

(i) **उत्पादन:**

तमिलनाडु राज्य में 5,140 मेगावाट क्षमता की चार ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विवरण **अनुबंध-I** पर हैं।

(ii) **पारेषण:**

वर्तमान में तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)/गैर-जीवाश्म उत्पादन के एकीकरण और ग्रिड-सुदृढीकरण के लिए पांच अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उनका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) कुडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र (यूनिट - 3 और 4 - 2x1000 मेगावाट) से विद्युत के निष्कासन के लिए आईएसटीएस के तहत पारेषण प्रणाली।

(ख) करूर पूर्लिंग स्टेशन पर 2x500 एमवीए, 400/230 केवी अंतरण क्षमता 3 एवं 4 आईसीटी (इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर) का संवर्धन।

(ग) तमिलनाडु में 400/230 केवी तूतीकोरिन-II गैस-इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) पूर्लिंग स्टेशन में 500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (छठा) द्वारा अंतरण क्षमता में संवर्धन।

(घ) तूतीकोरिन-II जीआईएस सबस्टेशन में 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (7वां) का संवर्धन।

(ङ) तमिलनाडु में कलीवंथपट्टू सबस्टेशन में 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (चौथा) द्वारा अंतरण क्षमता में संवर्धन।

इसके अतिरिक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने तमिलनाडु में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी)-II स्कीम के अंतर्गत अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनट्रांसको) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जीईसी-II के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है:

- (क) समुगरेंगापुरम 400/230 - 110 केवी एसएस (सब स्टेशन) से जुड़ी 400 केवी लाइन
- (ख) समुगरेंगापुरम 400/230-110 केवी एसएस से जुड़ी 230/110 केवी लाइन
- (ग) पूलावडी 230 केवी एसएस पर 230/110 केवी डिजिटल सबस्टेशन की स्थापना।
- (घ) पूलावडी 230 केवी एसएस से जुड़ी 230/110 केवी लाइन
- (ङ) मुप्पंडल में 230/110 केवी सबस्टेशन की स्थापना
- (च) मुप्पंडल 230 केवी एसएस से जुड़ी 230/110 केवी लाइन

(iii) **वितरण:**

वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम' (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर 'समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक' (एटी एंड सी) हानियों को 12-15% तक कम करना तथा 'औसत आपूर्ति लागत' (एसीएस) और 'औसत राजस्व प्राप्त' (एआरआर) के बीच के अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश में वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने और प्रणाली में हानियों को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत, देश के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्य और 1.31 लाख करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत वेल्लोर संसदीय क्षेत्र सहित तमिलनाडु के लिए स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं के लिए 19,235 करोड़ रुपये और वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 9,568 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में 776 करोड़ रुपये की लागत वाली विद्युत वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है:

- (क) कृषि फीडर पृथक्करण (एएफएस): 54 फीडर।
- (ख) उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस): 10 फीडर।
- (ग) दोहरे वितरण ट्रांसफार्मर का पृथक्करण: 04 फीडर।
- (घ) वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के लिए सहायक केबल: 9058 डीटी।
- (ङ) स्मार्ट मीटर: 8,00,606 उपभोक्ता, 9058 डीटी और 213 फीडर।

तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट में)
1.	कुडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र (केकेएनपीपी)	केंद्रीय	3	1,000
			4	1,000
2.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)		1	500
3.	उदंगुडीसुपर थर्मल पावर प्लांट (चरण-I)	राज्य	1	660
			2	660
4.	एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड)		1	660
			2	660
कुल				5,140

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4433

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974

4433. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रावी-ब्यास के अधिशेष जल में राजस्थान का 52 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होने के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राजस्थान संवर्ग के किसी भी अधिकारी को अब तक सदस्य सिंचाई या सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 23 फरवरी, 2022 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 में किए गए संशोधनों की वर्तमान स्थिति क्या है और राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों की सदस्य या सचिव के रूप में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 2022 में नियमों में संशोधन किए जाने के बाद राजस्थान राज्य संवर्ग के किसी अधिकारी को बीबीएमबी में किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा राजस्थान का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ग) और (घ) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(2) के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है; इसके अलावा, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें संबंधित सरकार द्वारा नामित किया जाता है; और साथ ही, केंद्र सरकार के दो प्रतिनिधि भी होते हैं, जिन्हें उस सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अतः, राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व है।

बीबीएमबी में कार्यरत राजस्थान राज्य के अधिकारियों ने समय-समय पर बीबीएमबी में सचिव का पद संभाला है। वर्तमान में, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के एक अधिकारी, जो बीबीएमबी में मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत हैं, 01 मई, 2025 से सचिव, बीबीएमबी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(ख) : 23 फरवरी, 2022 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2022 में बीबीएमबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन मानदंडों को शामिल करते हुए संशोधन किया गया था और 13 फरवरी, 2023 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, बीबीएमबी और उसके सहभागी राज्यों के साथ परामर्श के पश्चात पूर्णकालिक सदस्यों हेतु भर्ती की संशोधित विधि वर्तमान में मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4433

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974

4433. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रावी-ब्यास के अधिशेष जल में राजस्थान का 52 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होने के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राजस्थान संवर्ग के किसी भी अधिकारी को अब तक सदस्य सिंचाई या सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 23 फरवरी, 2022 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 में किए गए संशोधनों की वर्तमान स्थिति क्या है और राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों की सदस्य या सचिव के रूप में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 2022 में नियमों में संशोधन किए जाने के बाद राजस्थान राज्य संवर्ग के किसी अधिकारी को बीबीएमबी में किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा राजस्थान का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ग) और (घ) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(2) के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है; इसके अलावा, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें संबंधित सरकार द्वारा नामित किया जाता है; और साथ ही, केंद्र सरकार के दो प्रतिनिधि भी होते हैं, जिन्हें उस सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अतः, राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व है।

बीबीएमबी में कार्यरत राजस्थान राज्य के अधिकारियों ने समय-समय पर बीबीएमबी में सचिव का पद संभाला है। वर्तमान में, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के एक अधिकारी, जो बीबीएमबी में मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत हैं, 01 मई, 2025 से सचिव, बीबीएमबी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(ख) : 23 फरवरी, 2022 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2022 में बीबीएमबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन मानदंडों को शामिल करते हुए संशोधन किया गया था और 13 फरवरी, 2023 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, बीबीएमबी और उसके सहभागी राज्यों के साथ परामर्श के पश्चात पूर्णकालिक सदस्यों हेतु भर्ती की संशोधित विधि वर्तमान में मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4479

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

कोराडी ताप विद्युत संयंत्र में एफजीडी प्रणाली

4479. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या विद्युत मंत्री दिनांक 12 फरवरी, 2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2215 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोराडी ताप विद्युत संयंत्र में एफजीडी प्रणाली लगाए जाने के लिए छह निविदाओं संबंधी प्रगति बहुत धीमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निविदा मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार अधिसूचित समय-सीमा के अनुसार 31.12.2027 से पहले एफजीडी प्रणाली का शुरु किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मासिक आधार पर रूपरेखा की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महाजेनको) ने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने वाले पांच निविदाओं (2003 में जारी) के ठेकेदारों को प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट किया है या उनसे जोखिम और लागत खंड के अंतर्गत पूरी धनराशि वसूल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन छह निविदाओं के परिणाम का पिछली पांच निविदाओं जैसा न होना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कोराडी ताप विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) के स्वामित्व में है और इसमें 04 यूनिट शामिल हैं, अर्थात यूनिट सं. 6 (210 मेगावाट) तथा यूनिट सं. 8, 9 और 10 (3 x 660 मेगावाट)।

यूनिट नं. 6 के संबंध में फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) प्रणाली को दिनांक 31.12.2024 को कमीशन किया गया था। यूनिट 8, 9 और 10 में एफजीडी प्रणाली की संस्थापना के लिए छठी निविदा की प्रगति निम्नानुसार है:

- (i) निविदा दिनांक 11.06.2025 को प्रकाशित की गई थी और इसे जमा करने की अंतिम तिथि 01.07.2025 थी।
- (ii) इसके बाद, विभिन्न संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर और व्यापक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, निविदा की समय-सीमा को सात बार बढ़ाया गया, जिसमें अंतिम विस्तार दिनांक 04.11.2025 तक किया गया।
- (iii) तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ दिनांक 06.11.2025 को खोली गईं। प्राप्त तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन के बाद, योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ दिनांक 29.01.2026 को खोली गईं।

(ख) : कोराडी ताप विद्युत संयंत्र 'क' श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ऐसे संयंत्रों के लिए SO₂ उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की समय-सीमा दिनांक 31.12.2027 है। निर्धारित समय-सीमा के बाद भी गैर-अनुपालन की स्थिति में, अनुपालन न करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन संचालन	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (₹. प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और आगे	0.40

(ग) : अनुबंध दायित्वों को पूरा करने में विफल ठेकेदार को वर्ष 2023 में जारी 5वें निविदा अनुबंध की समाप्ति के बाद तीन साल की अवधि के लिए महाजेनको द्वारा आमंत्रित बोलियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अनुबंध की समाप्ति के बाद, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली सुरक्षा (ईएमडी) और निष्पादन बैंक गारंटी अनुबंध के जोखिम और लागत खंड के तहत जब्त कर ली गई है।

(घ) : महाजेनको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान निविदा के लिए खरीद नीति के अनुरूप आवश्यक सावधानी पहले ही बरती जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4517
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

भाखड़ा बांध में संरचनात्मक विचलन

4517. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध में इस वर्ष अधिकतम 1.17770 इंच का संरचनात्मक विचलन दर्ज किया गया है जो कि मूल स्थैतिक भार सीमा 1.03 इंच की तुलना में अधिक है तथा इसके पश्चात 1.04 इंच का पठन, डिजाइन सीमा की ओर आंशिक पुनर्प्राप्ति को दर्शाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने यह पुष्टि की है कि विचलन मूल अनुमेय स्तर से अधिक हो गया है और इसके लिए सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा बढ़े हुए विचलन की जांच के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो समय-सीमा और विचारार्थ विषय सहित इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय के साथ किए गए पत्राचार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु में 1,490 से 1,510 फीट के बीच लक्षित नियंत्रित जल-निकासी की योजना है और यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है;

(ङ) क्या जल-निकासी के दौरान गाद निकासी का कार्य भी किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भाखड़ा बांध में विचलन, रिसाव तथा दवाब की रियल टाइम निगरानी की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा सूचित किए अनुसार, दिनांक 19.11.2025 को भाखड़ा बांध में अधिकतम 1.1770 इंच का विचलन दर्ज किया गया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन (यूसबीआर) के 1964 के ट्रायल लोड अध्ययन के अनुसार,

गैर-भूकंपीय परिस्थितियों में विचलन की डिज़ाइन सीमा 1.03 इंच है। दिनांक 10.03.2026 तक, बांध का विचलन लगभग 0.9623 इंच है।

बीबीएमबी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं:

- (i) बीबीएमबी ने बीबीएमबी के बांधों से संबंधित मुद्दों, जिसमें भाखड़ा बांध का विचलन भी शामिल है, के समाधान के लिए आईआईटी रुड़की के अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के साथ एक समझौता ज़ापन (एमओयू) किया है।
- (ii) आगामी मानसून के आगमन से पूर्व भाखड़ा जलाशय के स्तर को न्यूनतम ड्रॉडाउन स्तर (एमडीडीएल) 1462 फीट के निकट लाने हेतु साझेदार राज्यों के बीच आम सहमति बनाना।

(ग) : अभी तक, बीबीएमबी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

(घ) : बीबीएमबी द्वारा आगामी ग्रीष्मकाल में भाखड़ा बांध जलाशय के नियंत्रित ड्रॉडाउन की योजना बनाई गई है। साझेदार राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए, वर्ष 2025 के मानसून से विभिन्न तकनीकी समिति बैठकों (टीसीएम) में जलाशय के जलस्तर को 1462 फीट के न्यूनतम ड्रॉडाउन स्तर (एमडीडीएल) तक लाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है। जलाशय के स्तर को एमडीडीएल तक लाने से, पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) - न्यूनतम ड्रॉडाउन स्तर (एमडीडीएल) चक्र की पूर्णता और बांध की संरचनात्मक लोचशीलता की बहाली सुनिश्चित होगी।

(ङ) : जलाशय के ड्रॉडाउन अवधि के दौरान गाद निकासी का कार्य भी किया जाएगा। किसी विशेष स्थल पर गाद निकासी की गतिविधियों की शुरुआत और निरंतरता, ड्रॉडाउन चरण के दौरान जलाशय के विशिष्ट जल स्तर तक पहुंचने पर निर्भर करती है।

(च) : भाखड़ा बांध के निर्माण के समय संस्थापित उपकरणों के माध्यम से विचलन, तनाव और विकृति की आवधिक निगरानी की जा रही है। बांध के मुख्य भाग, नींव और आधारों में स्थित ड्रेनेज और ग्राउटिंग गैलरी/ड्रेन होल्स के माध्यम से रिसाव की निगरानी और उसका प्रबंधन किया जाता है। दिनांक 10.03.2026 की स्थिति अनुसार, विचलन, रिसाव और तनाव के मान अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4524
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

4524. श्री राहुल कस्वां:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और चार घंटे के एकल चक्र भंडारण की अनुमति देने वाले संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत कुल मेगावाट-घंटा क्षमता कितनी है;

(ख) ऊर्जा भंडारण प्रतिष्ठानों के लिए विस्तारित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) हेतु जून 2028 तक वैध शुल्क माफी से कितनी परियोजनाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) 30 गीगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता के समर्थन के लिए सरकार के लक्ष्य की प्रगति क्या है और 2024-25 में जारी किए गए ट्रांचों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ग) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार लाभार्थी वितरण कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर 4 घंटे या 2 घंटे की भंडारण क्षमता के साथ 43.8 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास हेतु दो व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीमों का संचालन कर रहा है। इन दोनों स्कीमों का विवरण एवं कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

- i. **बजटीय सहायता के माध्यम से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम:** केंद्र सरकार ने 6 सितंबर, 2023 को 3,760 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ 4 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु वीजीएफ स्कीम को स्वीकृति दी थी। बाद में, बीईएसएस की कीमतों में कमी के कारण इसी स्वीकृत बजट के भीतर क्षमता को बढ़ाकर 13.8 गीगावाट घंटा कर दिया गया। 13.8 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता में से 12.7 गीगावाट घंटा के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए जा चुके हैं। चूंकि किसी भी परियोजना ने

वीजीएफ जारी करने के लिए निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वीजीएफ का वितरण नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक लगभग 100 करोड़ रू. का वीजीएफ वितरित किया जा चुका है।

- ii. **विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के माध्यम से 30 गीगावाट घंटा बीईएसएस विकास हेतु वीजीएफ स्कीम:** विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.06.2025 के आदेश के माध्यम से विद्युत प्रणाली विकास निधि से 5,400 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता के साथ 30 गीगावाट घंटा बीईएसएस विकास हेतु वीजीएफ स्कीम शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत 15 राज्यों को उनकी भंडारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 25 गीगावाट घंटा क्षमता आवंटित की गई है, जबकि 5 गीगावाट घंटा क्षमता एनटीपीसी लिमिटेड को गैर-सौर अवधि के दौरान विद्युत मांग को पूरा करने तथा मौजूदा तापविद्युत एवं पारेषण अवसंरचना के बेहतर उपयोग हेतु आवंटित की गई है। कुल आवंटित क्षमता में से 17.1 गीगावाट घंटा के लिए एलओए जारी किए जा चुके हैं। चूंकि अभी तक किसी भी परियोजना ने वीजीएफ जारी करने हेतु निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त नहीं किया है, इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत अब तक वीजीएफ का वितरण नहीं किया गया है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और हानियों का बंटवारा) (चौथा संशोधन) विनियम, दिनांकित 26.06.2025 के माध्यम से 30 जून 2028 को या उससे पहले शुरू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए 100% अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क छूट का लाभ 12 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। गैर-सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए, 100% आईएसटीएस शुल्क छूट दिनांक 30 जून 2025 तक थी, जिसके बाद छूट में प्रति वर्ष 25% की क्रमिक कमी की जानी थी। आईएसटीएस शुल्क छूट लाभ का प्रावधान हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए भी किया गया है, जिनका निर्माण कार्य 30 जून 2028 तक अवाई किया गया हो; यह लाभ वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 25 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा। उपरोक्त सीईआरसी विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने वाली बीईएसएस एवं हाइड्रो पीएसपी परियोजनाएं आईएसटीएस शुल्क छूट लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4541

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

वारंगल में कृषि और घरेलू फीडर

4541. श्री कडियम काव्यः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना के वारंगल जिले में कृषि और घरेलू फीडरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है, गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कितने फीडरों को अलग किया गया है और फीडर पृथक्करण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वारंगल जिले में फीडर पृथक्करण तथा संबंधित वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि कितनी है और इस संबंध में वास्तविक लक्ष्य क्या हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) क्या फीडर पृथक्करण के पश्चात वारंगल में कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटों में सुधार, एटी एंड सी हानियों में कमी, ट्रांसफार्मर विफलता दर तथा समग्र विश्वसनीयता सूचकांकों (एसएआईडीआई/एसएआईएफआई) में सुधार के संबंध में कोई प्रभाव/आकलन किया गया है; और

(घ) क्या किसी लंबित कार्य अथवा लागत वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है तथा इनके पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि लोड वाले मिश्रित फीडरों को कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों में पृथक करने हेतु राज्यों की सहायता कर रही है। इसका उद्देश्य कृषि फीडरों के सौरीकरण को सक्षम बनाना है, जिससे किसानों को दिन के समय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी लोड प्रबंधन किया जा सके।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 7,833 फीडरों का पृथक्करण किया गया, जिसकी परियोजना लागत 10,394 करोड़ रु. थी, और यह स्कीम 31.03.2022 को बंद हो चुकी है। वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 31,109 फीडरों के पृथक्करण हेतु 40,455 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। आरडीएसएस की समाप्ति तिथि 31 मार्च, 2028 है।

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वारंगल जिले में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी भी कृषि फीडर का पृथक्करण नहीं किया गया है, अतः फीडर पृथक्करण से संबंधित कोई वितरण सुदृढीकरण कार्य नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य ने आरडीएसएस में भाग नहीं लिया है।

इसके अलावा, राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वारंगल सर्कल में 11 केवी फीडरों का विवरण निम्नानुसार है:

- फीडरों की संख्या: 337
- शुद्ध कृषि फीडर: 8
- मिश्रित कृषि फीडर: 196

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4544
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों का विद्युतीकरण

4544. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के समापन के पश्चात उन घरों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, जो उक्त योजना के अंतर्गत शेष रह गए थे, कोई चालू योजना अथवा कार्यक्रम लागू किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण की स्थिरता का आकलन करने के लिए उक्त योजना की प्रभावकारिता की कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अपूर्ण रह गए 18,734 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी गांवों के विद्युतीकरण की संतृप्ति प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू विद्युतीकरण परियोजनाओं में सतत विकल्प के रूप में विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए पहले वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से तथा वर्तमान में 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहयोग प्रदान कर रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद, गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण 28 अप्रैल, 2018 तक कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डीडीयूजीजेवाई तथा उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का (ग्रिड एवं ऑफ-ग्रिड दोनों माध्यमों से) विद्युतीकरण किया गया, जिसमें वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के घरों सहित कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

वर्तमान में, भारत सरकार आरडीएसएस के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छोटे हुए परिवारों के ग्रिड आधारित विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग दे रही है। इसके अतिरिक्त, यथा व्यवहार्य, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के घर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) के घर तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13,65,139 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण हेतु 6,521 करोड़ रु. की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के 7,946 घर भी शामिल हैं।

चूंकि अधिकांश शेष परिवार दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानकों में शिथिलता दी गई है तथा विद्युतीकरण लागत की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है। संशोधित मानकों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य हो, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति हेतु सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत पीएम-जनमन तथा डीए-जेजीयूए के तहत क्रमशः 8,823 पीवीटीजी घरों एवं 4,099 जनजातीय परिवारों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4588
दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकृत घर

4588. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौभाग्य योजना के अंतर्गत असम के कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों के सभी घरों का विद्युतीकरण किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिलों में वर्तमान में किसी भी घर में विद्युत कनेक्शन में बिजली नहीं आ रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पहाड़ी जिलों में विश्वसनीय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण क्षेत्र पुनरुद्धार योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : (i) चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ii) भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजेवाई) और अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद, गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण 28 अप्रैल, 2018 तक कर दिया गया। डीडीयूजेवाई के अंतर्गत असम राज्य के 2,732 गांव सहित कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजेवाई तथा उसके

बाद सौभाग्य योजना के दौरान सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा किया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें क्रमशः कार्बी आंगलॉग एवं दिमा हसाओ जिलों के 61,928 तथा 14,295 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

(iv) भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत शेष परिवारों के ग्रिड आधारित विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। इसमें राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य हो, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घर, पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घर तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें कार्बी आंगलॉग एवं दिमा हसाओ जिलों के क्रमशः 9,011 तथा 2,604 घर शामिल हैं।

(v) चूंकि अधिकांश शेष घर दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है तथा विद्युतीकरण लागत की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है। संशोधित मानकों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य हो, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(vi) कार्बी आंगलॉग एवं दिमा हसाओ जिलों के लिए वितरण अवसंरचना सुदृढीकरण हेतु आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-1** पर है।

हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य:

दिमा हसाओ जिला:

प्रमुख घटक	स्वीकृत परिमाण	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
केबलिंग कार्य (लो टेंशन)	44.45 सीकेएम	2.46
उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस 11 केवी लाइन)	62.86 सीकेएम	6.63
एचवीडीएस वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर)	9	0.65
11 या 22 केवी लाइन का पुनः कंडक्टरीकरण/सुदृढीकरण	42.58 सीकेएम	14.88
नई 33 या 66 केवी लाइन	15 सीकेएम	5.50
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	2,604	17.35
कुल		47.47
वास्तविक प्रगति		33.46%

कार्बी आंगलॉग जिला:

प्रमुख घटक	स्वीकृत परिमाण	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
केबलिंग कार्य (लो टेंशन)	87.53 सीकेएम	4.85
एचवीडीएस 11 केवी लाइन	230.03 सीकेएम	24.25
एचवीडीएस (डीटीआर)	55	2.17
फीडर का विभाजन	45 सीकेएम	4.74
11 या 22 केवी लाइन की रिकंडक्टिंग/संवर्धन	61.14 सीकेएम	15.99
33 या 66 केवी लाइन की रिकंडक्टिंग/संवर्धन	11.5 सीकेएम	1.98
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	9,011	59.99
कुल		113.98
वास्तविक प्रगति		31.48%
